न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रमेशचन्द बनाम बाबूलाल मु.नं.– 67/24 किस्म – T. R.	

पेश हो। (initials)

22.01.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.02.26 को पेश हो।

17.2.26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ मसल हो। (signature)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
67/2021	17.10.2024	17.02.2026

बउनवान

रमेश पुत्र कजोडया, निवासी गढमेढया की ढाणी, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

..**प्रार्थी/सायल**

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र गिल्या, निवासी गढमेढया की ढाणी, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
2. मुकेश कुमार पुत्र गिल्या, निवासी गढमेढया की ढाणी, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बैजूपाडा, जिला दौसा।

..**अप्रार्थीगण/गैरसायलान**

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री विक्रम सिंह गुर्जर।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 – श्री खेमसिंह गुर्जर।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की विवादित आराजीयात ग्राम गढमेढया की ढाणी, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा के खाता सं. 03 के खसरा सं. 464, 595, 596, 597/807, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 610, 611 कुल किता 16 कुल रकबा 2.01 हैक्टे.,में स्थित है। विवादित आराजीयात सायल एव गैरसायलान सख्या 1 व 2 के पिता मृतक गिल्या व दावा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 12 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात है जिसमें सायल, गैरसायलान 1 व 2 एवं दावा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 12 ने सभी ने उक्त आराजीयात को अपने अपने हिस्से के अनुसार काफी समय पूर्व से आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है जिस अनुसार सायल व गैरसायलान व दावा प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात का अभी तक विधिवत तकास्मा नही हुआ है। विवादित आराजीयात में सायल का 1/28 हिस्सा गैरसायल सं. 1 व 2 के पिता मृतक पिता गिलया का 1/4 दावा प्रतिवादी सं. 3 का 1/24, दावा प्रतिवादी सं. 4 का 2/7 दावा प्रतिवादी सं. 5 का 1/12, दावा प्रतिवादी सं. 6 का 1/28, दावा प्रतिवादी सं. 7 का 1/8, दावा प्रतिवादी सं. 8 का 1/24, दावा प्रतिवादी सं. 9 का 1/28, दावा प्रतिवादी सं. 10 का 1/28, दावा प्रातेवादी सं. 11 का 1/28 दावा प्रतिवादी संख्या 12 का 1/28 हिस्सा जमाबंदी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सायल, गैरसायल संख्या 1 व 2 व दावा प्रतिवादीगण सं. 3 लगायत 12 के मध्य विवादग्रस्त आराजीयात का बाहमी तोर पर तो विभाजन कर रखा है तथा उसी के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अनुसार खातेदारान मौके पर काबिज काश्त किन्तु गैरसायलान आये दिन वादी के कब्जा काश्त की आराजी की डोल मेढ को तोड कर अपनी आराजी में मिलाते रहते है जिससे डोल मेढ व सीमाओं को लेकर आपसी विवाद बना रहता है। गैरसायलान ताकत के बल पर सायल के हिस्से व खातेदारी की आराजी पर कब्जा करना चाहते है। और कहते है कि हम तुमको इस आराजी को काश्त नहीं करने देंगे तथा तुमको बेदखल कर हम कब्जा करेगें। गैरसायलान ने सायल को यह भी कहा कि हम ताकत के बल पर तुम्हारी हिस्से की आराजी को गडढे आदि खोदकर नाकाबिल काश्त बना देगे जिससे तुम लोग खेती नहीं कर सकोगे। सायल ने गैरसायलान को ऐसा नहीं करने को कहा तो एकदम नाराज हो गये और कहने लगे कि हम पूर्व के बॅटवारा को नहीं मानते है। हमें जो अच्छी जमीन लगेगी, उस पर कब्जा करेगें तथा उससे तुमको बेदखल करेंगे जबकि सायल ने अपने हिस्सा की आराजी को धन व परिश्रम करके उपजाऊ बनाया है। इस पर गैरसायलान आग बबूला होकर वादी को जान से मारने की नियत से हमलावर हुये। तब सायल बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर घर आया। सायल ने दिनांक 20.09.2024 को गैरसायलान से तहसील में चल कर विधिवत विभाजन करवाने का निवेदन किया लेकिन गैरसायलान ने आपसी सहमति से बटवारा करवाने से साफ मना कर दिया। तथा गैरसायलान कहने लगे कि हमारा बटवारा से कोई वास्ता नहीं है। हम कहीं नहीं जायेगें। हम तो यही पर तुम्हें बेदखल करेगें तथा बंटवारा कराये जाने से साफ इन्कार कर दिया। इसलिये सायल को अर्पूणीय क्षति होगी सायल विवादित आराजीयात का सहखातेदार है जिससे गैरसायलान का किसी प्रकार का कोई सबंध नहीं है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो सायल को उसके कब्जा काश्त की आराजी से बेदखल कर देगें जिससे सायल को अपूरणीय क्षति होगी जबकि गैरसायलान को पाबंद करने पर उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। इस प्रकार अर्पूणीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः अर्ज है कि गैरसायलान को दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाये कि वो विवादित आराजीयात प्रार्थना पत्र में सायल के हिस्से व कब्जे की आराजी में उसके उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। उक्त कार्य न तो गैरसायलान स्वयं करें और ना ही किसी दीगर व्यक्तियों से ही करावे। सायल के हिस्से या बिना विधिवत विभाजन हुये आराजी के किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार का निर्माण आदि नहीं करे। कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन में नहीं लेवे। गढढे आदि खोद कर नाकाबिल काश्त नहीं बनावे। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे। इस हेतु पाबंद रहे।

2. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 17.10.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थी सं. 01 लगायत 02 ग्राम गढमेढया की ढाणी पटवार हल्का बावडीखेडा तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित उक्त विवादित आराजीयात भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 03 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी सं. 01 व 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने कभी धमकी नहीं दी है और ना ही काश्त करने से रोका है और ना ही किसी भी प्रकार की किस्म बदलने की कार्यवाही प्रतिवादीगण के द्वारा की जा रही है। प्रतिवादीगण वर्तमान में मौके व कब्जे के अनुसार स्वयं बंटवारा चाहते है। गैरसायलान ना तो किसी को बेदखल करना चाहते है और नाही किसी प्रकार का विवाद बंटवारा को लेकर है। सायल को किसी प्रकार की क्षति की संभावना नहीं है। अगर गैरसायलान को पाबंद किया जाता है तो गैरसायलान को अर्पूणीय क्षति होगी। गैरसायलान के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गैरसायलान को नाजायज रूप से परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया गया है जिसे मय कोस्ट खारिज फरमाया जावे।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण तथा विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। उभय पक्षों ने प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के अनुसार, विवादित आराजीयात के प्रार्थी दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। जबकि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के खातेदार नहीं है। इस प्रार्थना पत्र से संबद्ध वाद पत्र तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। विवादित आराजीयात पर वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी या निर्माण किया जाता है तो तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों के उपयोग पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम गढमेढया की ढाणी, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 464, 595, 596, 597/807, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 610, 611 कुल किता 16 कुल रकबा 2.01 हैक्टे., के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 17.10.2024 को प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 17.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)